(51)

पत्र संख्या–बी–4–वाहन कय/रा0वा0प्र0मु0प्र0प0–2022–2023/ 1076 /राज्य कर
कार्यालय आयुक्त,राज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक :: 02 ~~मई~~, 2022

1. **समस्त जोनल अपर आयुक्त,**
   राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. **अपर निदेशक,**
   राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय :– समस्त शासकीय वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–341 क0से0/2022–19क0से0 (वि0प0प्र0)/2017 लखनऊ दिनॉक–26 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त शासकीय वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परिवहन आयुक्त के पत्र दिनांक–26 मई, 2022 के दृष्टिगत अपने अधीनस्थ फील्ड/क्षेत्र में उपलब्ध समस्त शासकीय वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक/ उक्त

प्रतिलिपिः–संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

01/06/2022
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

03/06/2022
2-6-22

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

संख्या– 341 कं०से० / 2022– 19कं०से०(वि0प0प्र0) / 2017 लखनऊ :दिनांक 26 मई, 2022

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक,
   उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,
   मुख्यालय, लखनऊ।
3. निदेशक,
   नगरीय परिवहन निदेशालय,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

विषय–समस्त शासकीय वाहनों, को प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 60545 सरकारी वाहन पंजीकृत हैं, जिनके सापेक्ष मात्र 12972 वाहनें प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित है। यह संख्या कुल पंजीकृत शासकीय वाहनों के सापेक्ष अत्यन्त कम है।

यहां यह भी अवगत कराना है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2022 में श्री महबूब अली, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–115 में निर्धारित उत्सर्जन मानकों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–190(2) के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है तथा इस अभियोग हेतु रू0 10,000/– शमन शुल्क भी निर्धारित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ पंजीकृत शासकीय वाहनों को अधिक से अधिक संख्या में प्रदूषण मुक्त प्रमाण–पत्र से आच्छादित कराये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें, अन्यथा ऐसे वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

(धीरज साहू)
परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश

अपर आयुक्त (प्र०)

कृते आयुक्त
27.5.22

850

अपर आयुक्त (प्र०)
30-5-2022

295